केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 23353503, फैक्स : 23753923

याचिका सं. 351/टीएल/2022 दिनांक : 7.2.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

गदग II-A ट्रांसमिशन लिमिटेड, 138, अंसल चेम्बर–II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण (बीओओटी) आधार पर "गदग (1500 मेगावाट), कनार्टक : पार्ट ए–फेज–II में सोलर एनर्जी जोन के लिए पारेषण योजना" हेतु अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से अनुसूचित सीओडी
1.	गदग पीएस – कोप्पल पीएस 400 केवी (क्वेद मूज के समतुल्य उच्च क्षमता) डी/सी लाइन	18 माह
2.	कोप्पल पीएस में 400 केवी लाइन बेज : 2 नं. और गदग पीएस में 400 केवी लाइन बेज : 2 नं. [गदग पीएस कोप्पल पीएस 400 केवी की समाप्ति के लिए (क्वेद मूज के समतुल्य उच्च क्षमता) डी/सी लाइन]	18 माह
3.	गदग पूलिंग स्टेशन में 400/220 केवी, 3x500 एमवीए आईसीटी का संवर्धन • 400/220 केवी, 500 एमवीए आईसीटी – 3 नंबर • 400 केवी आईसीटी बेज – 3 नंबर • 220 केवी आईसीटी बेज – 3 नंबर • 220 केवी लाइन बेज – 4 नंबर • 220 केवी अनुभागीकरण बेज – 1 सेट • 200 केवी बस कपलर (बीसी) बे – 1 नंबर • 220 केवी ट्रांसफर बस कपलर (टीबीसी) बे – 1 नंबर	18 माह

नोट:

(i) कोप्पल पीएस के डेवलेपर को गदग पीएस–कोप्पल पीएस 400 केवी की समाप्ति के लिए कोप्पल पीएस में 400 केवी लाइन बेज के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा (क्वेद मूज के समतुल्य उच्च क्षमता) डी/सी लाइन।

(ii) फेज–I योजना के अधीन गदग पीएस के डेवलेपर को गदग पूलिंग स्टेशन में आईसीटी के संवर्धन के लिए स्थान और उपरिलिखित घटकों के लिए गदग पीएस संवर्धन के लिए स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा।

2. आवेदक का चयन, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलेपमेंट एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 245.43 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों सहित पारेषण सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 14.12.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 351/टीएल/2022 में दिनांक 6.2.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।

5. गदग II-A ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.renewpower.in पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 20.2.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक 22.2.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

ह0/–
(हरप्रीत सिंह पुथी)
सचिव